


राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

क्रमांक:- 42

दिनांक:- 11.10.20

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी मुकेश कुमार व  
शूअ.नि. मुकेश कुमार की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राजेश कुमार  
मुकेश कुमार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के  
अनुसरण में ग्राम 16 TK तहसील रायसिंहनगर व जिला रायसिंहनगर की जमायदगी  
संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 29 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से  
शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।


| क्र०सं | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि  | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)  |
|--------|-------|-------------|---|---|
| ①      | 16 TK | 29          | पवन कुमार पुत्र लाल कर्नल<br>113/1349 हिस्सा 10 अंश<br>बि.सी.ई.सी. मुकेश कुमार<br>खालसा<br>रा.दि.न. 30/11/2017 में<br>32 म.ल. | पवन कुमार पुत्र लाल कर्नल<br>रा.म. 113/1349 हिस्सा 10 अंश<br>बि.सी.ई.सी. मुकेश कुमार खालसा<br>रा.दि.न. - पंजाब नेशनल बैंक<br>21/11/2017 32 म.ल. |

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
रायसिंहनगर

क्रमांक:- 42

दिनांक:- 11.10.20

1. तहसीलदार राजेश कुमार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री पवन कुमार को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
रायसिंहनगर

